

प्रेस-विज्ञप्ति

थाना कप्तानगंज

लूट की घटनाओं को अंजाम देने वाला शातिर अपराधी पुलिस मुंठभेड़ में घायल व गिरफ्तार; मोटरसाइकिल, अवैध शस्त्र व लूट का सामान बरामद।

पूर्व की घटनाएं:-

➔ दिनांक 17.09.2022 को वादी आशुतोष सिंह पुत्र अरविंद सिंह निवासी अमिलिया थाना गंभीरपुर जनपद आजमगढ़ द्वारा तहरीर दिया कि आजमगढ़ से आफिस का कार्य कर लोटते समय इशान पब्लिक स्कूल के पास अज्ञात मोटरसाइकिल सवार बदमाशों द्वारा असलहे के बल पर एक टैबलेट, एक मोबाइल व 1 हजार छीनकर भाग गए। इस सूचना पर थाना गंभीरपुर पर मु.अ.सं. 334/22 धारा 392 भादवि पंजीकृत विवेचना प्रचलित है।

➔ दिनांक 18.09.2022 को वादी चंद्रजीत यादव पुत्र श्री रामाधारी यादव निवासी घनघटा थाना अतरौलिया आजमगढ़ द्वारा थानास्थानीय पर सूचना दी गई कि दो बाइक सवार चार अज्ञात बदमाशों द्वारा ओवरटेक करके 9700 रुपये, 01 मोबाइल व आधार कार्ड, पैन कार्ड छीन लिया। जिसके संबंध में थाना अतरौलिया पर मु.अ.सं. 327/22 धारा 392 भादवि पंजीकृत कर विवेचना प्रचलित है।

➔ दिनांक 18.09.2022 को वादी अजय कुमार उपाध्याय पुत्र स्व. राम नवल उपाध्याय निवासी नवली थाना कप्तानगंज द्वारा थाना कप्तानगंज पर सूचना दी गई कि अज्ञात बदमाशों द्वारा असलहा दिखाकर वादी से ₹8000 व उसका मोबाइल छीन लिया गया जिसके संबंध में थाना कप्तानगंज पर मु.अ.सं. 274/22 धारा 392/504 भा.द.वि. पंजीकृत कर विवेचना प्रचलित है।

➔ दिनांक 20.09.2022 को वादी राकेश कुमार पुत्र संत लाल निवासी मुइया मकदुमपुर थाना निजामाबाद आजमगढ़ द्वारा थाना स्थानीय पर सूचना दी गयी कि एक मोटरसाइकिल पर सवार दो अज्ञात व्यक्तियों द्वारा तमंचे के बल पर 2200 रुपये, पैन कार्ड, आधार कार्ड व एनपीएस कार्ड छीनकर भाग गये, इस सूचना पर थाना सरायमीर पर मु0अ0सं0- 207/22 धारा 392 भादवि पंजीकृत कर विवेचना प्रचलित है।

➔ दिनांक 21.09.2022 को वादी जुल्फिकार अहमद पुत्र महाबुद्ध बक्स निवासी लालगंज आजमगढ़ अपने लैब का सामान लेकर आजमगढ़ से लालगंज जाते समय रोहुआ सिमेंट प्लांट के पास से दो अज्ञात मोटरसाइकिल सवार द्वारा अवैध असलहे से आतंकित कर बैग से 20 हजार रुपये, मोबाइल, ATM छीनकर भाग गए। इस सूचना पर थाना गंभीरपुर पर मु.अ.सं. 337/22 धारा 392 भादवि पंजीकृत कर विवेचना प्रचलित है।

घटना का अनावरण

➔ दिनांक 24.09.2022 को समय प्रभारी निरीक्षक अतरौलिया नदीम फरीदी मय हमराह द्वारा बूढ़नपुर चौराहे के पास चेकिंग के दौरान एक बाइक सवार व्यक्ति को रोकने का प्रयास किया गया लेकिन उपरोक्त बाइक सवार कप्तानगंज की तरफ भागने लगा।

➔ थाना प्रभारी अतरौलिया ने तत्काल एसओ कप्तानगंज को अवगत कराते हुए बाइक सवार के पीछा किया गया, इस सूचना पर एसओ कप्तानगंज द्वारा उक्त बाइक सवार को पासीपुर पुलिया के पास रोका गया, लेकिन बाइक सवार बदमाश **कुम्भवट जाने वाली रोड आबादी ग्राम लहरपार के नहर के पास तरफ भागते हुए** पुलिस टीम पर जान से मारने की नियत से फायरिंग की गई। पुलिस द्वारा आत्मरक्षार्थ जवाबी कार्यवाही में बदमाश के बायें पैर में गोली लगी। जिसमें अभियुक्त घायल होकर गिर गया। घायल अभियुक्त को चिकित्सकीय उपचार हेतु सीएचसी रानीपुर भेजा गया।

➔ जिसके सम्बन्ध में थाना स्थानीय पर मु.अ.सं. 276/22 धारा 307 भादवि व 3/25 आर्म्स एक्ट थाना कप्तानगंज पर पंजीकृत किया गया।

➔ अभियुक्त की पहचान मो0 अनस पुत्र एजाज अहमद, निवासी सम्मोपुर आइमा, रानी की सराय आजमगढ़ के रूप में हुयी। अभियुक्त के कब्जे से कट्टा व कारतूस, मोटरसाइकिल तथा लूट का सामान बरामद किया गया। पूछताछ पर गिरफ्तार अभियुक्त ने बताया कि हम लोग गिरोह बनाकर लूट की घटनाओं को अंजाम देते थे।

पंजीकृत अभियोग

मु.अ.सं. 276/22 धारा 307 भादवि व 3/25 आर्म्स एक्ट थाना कप्तानगंज आजमगढ़ ।

गिरफ्तार अभियुक्त

1-मो0 अनस पुत्र एजाज अहमद, निवासी सम्मोपुर आइमा, रानी की सराय आजमगढ़। (मुठभेड़ में घायल)

आपराधिक इतिहास

मु.अ.सं. 334/22 धारा 392 भादवि थाना गंभीरपुर।

मु.अ.सं. 337/22 धारा 392 भादवि थाना गंभीरपुर ।

मु.अ.सं. 327/22 धारा 392 भादवि थाना अतरौलिया आजमगढ़ ।

मु.अ.सं. 274/22 धारा 392/504 भा.द.वि. थाना कप्तानगंज आजमगढ़ ।

मु.अ.सं. 207/22 धारा 392 भादवि थाना सरायमीर आजमगढ़ ।

बरामदगी

01 तमंचा 315 बोर, 01 जिंदा कारतूस 315 बोर, 03 खोखा कारतूस 315 बोर ।

01 मोबाइल, 01 मोटरसाइकिल होण्डा सीबीआर ।

लूट का पैनकार्ड, आधार कार्ड, एटीम कार्ड, वोटर आइडी व 1900/- रुपये नकद ।

पुलिस टीम

प्रभारी निरीक्षक अतरौलिया नदीम फरीदी मय हमराह थाना अतरौलिया आजमगढ़।

थानाध्यक्ष कप्तानगंज संजय कुमार मय हमराह थाना कप्तानगंज आजमगढ़ ।